प्रकरण संख्या 36/2013 श्रीमती वरदीबाई बनाम श्रीमती मंथरी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस पर व रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीया/अपीलान्ट द्वारा भूमियां रूपा जी की खातेदारी की होने एवं वादिया रूपा की पुत्री होने से उसके द्वारा खातेदारी घोषणा चाही गयी थी तथा वर्णित किया था कि रूपा जी के मरने के बाद पुत्र देवा ने खाता अकेले अपने नाम खुलवा लिया तथा पुत्रियां वादीगण व अन्य पुत्री प्रतिवादी को वंचित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 12–09–2007 को प्रकरण में 9 तनकियात कायम की एवं उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय पारित किया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, जो स्पष्टतया आदेश 20 नियम 5 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है तथा सम्पूर्ण विवाद का नातिक निस्तारण नहीं करता है। दूसरा हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को इस आधार पर भी खारिज किया है कि पुत्र देवा द्वारा भूमियों का विक्रय कर दिया गया है। अतएवं पंजीकृत विक्रय पत्र प्रथमता निरस्त करवाया जावे, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपने हक अधिकारों से ज्यादा का किया गया विक्रय प्रथम दृष्टया अविधिक व प्रभाव शून्य होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बनायी गयी सभी 9 तनकियात पर उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर तथा हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–10–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 36/2013 श्रीमती वरदीबाई बनाम श्रीमती मंथरी

प्रकरण संख्या 36/2013 श्रीमती वरदीबाई बनाम श्रीमती मंथरी